

प्रकरण संख्या :- 11 / 2024

प्रकरण दायर दिनांक :- 15.03.2024

प्रकरण निर्णय दिनांक :- 26.06.2024

उनवान-सरकार बनाम किलाण वर्मा

राजस्व ग्राम शेखपुरा स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत।

निर्णय दिनांक :- 26.06.2024

तहसीलदार बाँदीकुई ने पत्र क्रमांक: 214 दिनांक: 11.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम शेखपुरा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 413, 431, 432, 433, 435, 436, 452, 455, 463 में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पेश किया है। प्रस्ताव की तारीख में उपतहसीलदार (भू. अ.) आभानेरी, भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का आभानेरी रिपोर्ट दिनांक: 23.02.2024, भू.अ. निरीक्षक एवं पटवारी हल्का आभानेरी मौका फर्द (मौका पर्चा) दिनांक: 23.02.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2075-78 ग्राम शेखपुरा खाता सं. नया 05 पुराना 06, नया 18 पुराना 14, नया 19 पुराना 77, नया 80 पुराना 17, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्राप्त प्रस्ताव दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान जयें नोटिस विधिवत की गई। तलबी नोटिस अप्रार्थीगण/खातेदारान बाद तामील प्राप्त हुए। खातेदारान रामकिशन रामजीलाल, भगवानसहाय, बदरी, रमेश, रामधन न्यायालय हाजा में उपस्थित आये एवं रास्ते हेतु सहमति प्रकट की व आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी धर्मसिंह पुत्र कल्याणसहाय गुर्जर द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उपस्थित सहमतिकर्ता खातेदारान एवं आपत्तिकर्ता के अलावा शेष खातेदारान/अप्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्राप्त प्रस्ताव पर पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बाँदीकुई, उपस्थित खातेदारान एवं आपत्तिकर्ता को सुना गया। तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात व प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव के संलग्न मौका रिपोर्ट मुताबिक प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है। मौके पर रास्ता सी.सी. रोड एवं कच्ची पगडंडी के रूप में है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता नहीं निकालने हेतु निवेदन किया गया। अतः पैरोकार सरकार व आपत्तिकर्ता बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार बाँदीकुई से प्राप्त प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजातों व आपत्ति प्रार्थना पत्र के अवलोकन के आधार पर तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तावित रास्ते में से आपत्ति से प्रभावित खसरा नंबर 455 रकबा 1.37 हैक्ट. को छोड़कर शेष प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाँदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में राजस्व ग्राम शेखपुरा स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते में से आपत्ति दर्ज शुदा भूमि खाता सं. नया 5 पुराना 5

उपखण्ड अधिकारी
बाँदीकुई

नजरी नक्शा देस

खसरा नं. 455 रकबा 1.37 हैक्ट. को छोड़कर शेष खातेदारी भूमि खाता सं. नया 18 पुराना 14 के खसरा नं. 413 रकबा 0.26 हैक्ट. में से 0.0240 हैक्ट., खसरा नं. 431 रकबा 0.88 हैक्ट. में से 0.0416 हैक्ट., ख. नं. 432 रकबा 0.40 हैक्ट. में से 0.016 हैक्ट., ख. नं. 433 रकबा 0.02 हैक्ट. में से 0.012 हैक्ट., ख. नं. 436 रकबा 0.09 हैक्ट. में से 0.008 हैक्ट. एवं ख. नं. 452 रकबा 0.34 हैक्ट. में से 0.008 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 19 पुराना 77 के ख. नं. 435 रकबा 0.29 हैक्ट. में से 0.0112 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 80 पुराना 17 के खसरा नं. 463 रकबा 0.20 हैक्ट. में से 0.012 हैक्ट. भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल रयाही से प्रदर्शित प्रस्तावित के अनुसार गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी उक्त खातों में यथावत रहेगी। तहसीलदार बाँदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बाँदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

26/6/24
(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड बाँदीकुई
बाँदीकुई

